न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 25/2024–25 तारीख दायर :–02.09.2024 दिनांक निर्णय :–23.09.2024

पटवारी हल्का राजपुरबड़ा जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम UTCMS No - 2024/16

सुरजन नट पुत्र मीर नट निवासी ग्राम राजपुरबड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम–1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का राजपुरबड़ा द्वारा राजस्व ग्राम राजपुरबड़ा के आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 1.73 हैक्ट0 किस्म चारागाह के भाग 1.50 हेक्ट0 पर कांटा व बाड़ लगाकर अतिक्मण करने पर सुरजन नट पुत्र मीर नट निवासी ग्राम राजपुरबड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्मण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिव्त होकर प्राप्त हुई। गैरसायल/अप्रार्थी बावजूद तामिल के न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी की विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी की सकट के आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 1.73 हैक्ट0 किस्म चारागाह के भाग 1.50 हेक्ट0 पर अतिक्मण कायम रखने की मंशा प्रतित होती है। भू0अ0निरीक्षक राजपुरबड़ा व पटवारी हल्का राजपुरबड़ा की रिपोर्ट सम्वत 2081 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा ग्राम राजपुरबड़ा की चारगााह भूमि पर किये गये अतिक्मण की पुष्टि होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:–

अतिक्रमी सुरजन नट पुत्र मीर नट निवासी ग्राम राजपुरबड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम सकट के आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 1.73 हैक्ट0 किस्म चारागाह के भाग 1.50 हेक्ट0 भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 3 की 50 गुणा में मु0 150.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु भू0अ0निरीक्षक राजपुरबड़ा व पटवारी हल्का राजपुरबड़ा को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को मौके से भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 23.09.2024 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(छोटेलाल मीना)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2024-25
के पृष्ठ संख्या 73 प.क्र. [illegible] 150/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार